संख्या-4132/नौ-5-2022/91सा०/2022

प्रेषक,

अमृत अभिजात,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

राज्य मिशन निदेशक(अमृत),
अमृत मिशन निदेशालय, उ०प्र०
नगरीय प्रशिक्षण एवं शोध केन्द्र व स्थानीय निकाय निदेशालय,
लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊ : दिनांक 15 सितम्बर , 2022

विषय:-अमृत कार्यक्रम के अन्तर्गत क्रियान्वित की जा रही सीवरेज एवं पेयजल परियोजनाओं पर अनुमन्य जी०एस०टी० की देयता के भुगतान हेतु शासनादेश निर्गत करने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अमृत मिशन निदेशालय, उ०प्र० नगरीय प्रशिक्षण एवं शोध केन्द्र व स्थानीय निकाय निदेशालय, लखनऊ के पत्र संख्या-एसएमएमयू/7958/39(3)/2022, दिनांक 26-08-2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- निर्माण कार्यों की परियोजनाओं में जी०एस०टी० की संशोधित दरें लागू करने के संबंध में वित्त विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-2/2022/ई-8-292दस-2022, दिनांक 13-09-2022 में निम्न प्रावधान किया गया है:-

प्रदेश के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित निर्माण कार्यों से संबंधित परियोजनाओं के मूल्यांकन तत्समय प्रचलित जी०एस०टी० की दरों पर किया जाता है।

जी०एस०टी० की दरों में परिवर्तन की स्थिति में जी०एस०टी० की समय-समय पर प्रचलित दरों को उनके प्रभावी होने की दिनांक से लागू करते हुये जी०एस०टी० की गणना सुनिश्चित की जाये।

जी०एस०टी० की दरों में परिवर्तन के फलस्वरूप परियोजनाओं की लागत के पुनरीक्षण के संबंध में प्रशासकीय विभाग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

3- अवगत कराना है कि अमृत कार्यक्रम के अन्तर्गत पेयजल की 169 परियोजनाएं एवं सीवरेज की 119 परियोजनाए अर्थात् कुल 282 परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं, जिसमें से अधिकांश परियोजनाओं में जी0एस0टी0 भुगतान के संबंध में दिशा-निर्देश का उल्लेख न होने के कारण उक्त परियोजनाओं में जी0एस0टी0 अवमुक्त नहीं हो पा रहा है।

4- यह भी अवगत कराना है कि अमृत योजनान्तर्गत पेयजल एवं सीवरेज की परियोजनाएं वर्ष 2015 के बाद विभिन्न वर्षों में स्वीकृत की गई हैं। उक्त परियोजनाओं में से कुछ परियोजनाओं में वैट, कुछ परियोजनाओं में जी0एस0टी0 एवं अनेक परियोजनाओं में बिना जी0एस0टी0 के प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति वित्त विभाग की सहमति से निर्गत की गई है। परियोजनाओं की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि से सेंटेज की धनराशि घटाकर कार्यलागत की वास्तविक धनराशि निर्धारित होती है एवं उक्त निर्धारित कार्य लागत अथवा अनुबन्ध की धनराशि, जो भी कम हो, पर ही जी0एस0टी0 अनुमन्य होती है। ऐसी परियोजनाओं जिनमें बिना जी0एस0टी0 के प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गई है, उनकी कार्य

लागत अथवा अनुबन्ध की धनराशि, जो भी कम हो, पर जी0एस0टी0 का भुगतान किया जाना अनिवार्य है। अमृत योजनान्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं को निर्धारित समयावधि में पूर्ण किये जाने हेतु जी०एस०टी० का भुगतान समय से किया जाना आवश्यक है।

5- अत: प्रकरण की महत्ता एवं अमृत योजनान्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं को समय से पूर्ण किये जाने की आवश्यकता तथा वित्त विभाग के उपरोक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 13-09-2022 के प्रावधानों के दृष्टिगत अमृत योजनान्तर्गत स्वीकृत पेयजल एवं सीवरेज की ऐसी परियोजनाओं, जिनके प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के आदेश में जी०एस०टी० के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है, की कार्य लागत अथवा अनुबन्ध की धनराशि, जो भी कम हो, पर कराये गये कार्यों के समय प्रचलित जी०एस०टी० की दर पर नियमानुसार जी०एस०टी० के भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अमृत अभिजात)
प्रमुख सचिव।